

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम  | अनुदान की राशि                      |
|---------|---|----------------|-------------------------------------|
| 1       | 2   | 3              | 4                                   |
| 1       | मो० नासीर कुरैशी<br>पिता-मो० जाकीर कुरैशी<br>ग्राम-शंकरपुर रोड<br>पो०+थाना-दीघवारा<br>जिला-सारण | हेपेटाइटिस सी० | ₹ 40,000/- (चालीस हजार)<br>स्वीकृत। |
|         |   |                | कुल रू० 40,000/-                    |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 40,000/- ( चालीस हजार ) का क्रास चेक सं० 388001..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 25.06.16

ज्ञापांक

921 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.6.16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना; दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                    |
|---------|---|---------------|-----------------------------------|
| 1       | 2   | 3             | 4                                 |
| 1       | मीना कुंवर<br>पति-स्व० अदेया सिंह<br>ग्राम-पो०-केशवान<br>थाना-पीरो<br>जिला-भोजपुर                                 | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 2       | अनवर सलाम<br>पिता-स्व.अब्दुस सलाम<br>ग्राम-महत्वाना<br>पो०-फुलवारीशरीफ<br>थाना-फुलवारी<br>जिला-पटना               | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 3       | उपेन्द्र यादव<br>पिता-शिव वचन यादव<br>ग्राम-बरइनी टोला छतीसाह<br>पो०-चन्दौती भगवानपुर<br>थाना-बेलागंज<br>जिला-गया | कैंसर रोग     | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 4       | मौसम कुमारी<br>पति-स्व. धनंजय कुमार<br>ग्राम+पो० खैरा<br>थाना-हवेली खड़गपुर<br>जिला-मुंगेर                        | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 5       | राम पदारथ सिंह<br>पिता-स्व. सुखदेव सिंह<br>ग्राम-कोण पोठीया फतेहपुर<br>पो०-रुकुनपुर<br>थाना-दीदारगंज<br>जिला-पटना | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।   |
|         |   |               | कुल ₹ 3,20,000 /--                |

15

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000 /- (तीन लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388002 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388002 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 24.06.16

ज्ञापांक 922(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
श्री साई, हौस्पीटल  
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                     |
|---------|---|---------------|------------------------------------|
| 1       | 2   | 3             | 4                                  |
| 1       | शाम्भवी कुमारी<br>पिता-धनंजय कुमार<br>ग्राम-राम जयपाल नगर<br>वेस्ट बेली रोड,<br>पो०+थाना-दानापुर<br>जिला-पटना | हड्डी रोग     | ₹ 50,000 /-(पचास हजार)<br>स्वीकृत। |
|         |   |               | कुल रू० 50,000 /-                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि.....(शब्द में.....) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388005 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पीटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388005 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 927(14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श.रुन्ध

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय  
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम         | अनुदान की राशि                 |
|---------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1       | 2  | 3                     | 4                              |
| 1       | नीतीश कुमार<br>पिता—दासो यादव<br>ग्राम—धमरीया<br>पो०—नदीयावा<br>थाना—रामगढ़ चौक<br>जिला—लखीसराय                | हड्डी रोग<br>सर्जरी   | ₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत। |
| 2       | माला देवी<br>पति—संजीव कुमार चौधरी<br>ग्राम—दुजरा पूर्वीगली<br>पो०—जी०पी०ओ०<br>थाना—बुद्धा कालोनी<br>जिला—पटना | हिप रिपलेसमेंट<br>रोग | ₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत। |
| 3       | रंजन राज<br>पिता—राम सुरत ओझा<br>ग्राम—दिग्धी<br>पो०—थाना—हाजीपुर<br>जिला—वैशाली                               | हिप रिपलेसमेंट<br>रोग | ₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत। |
|         |  |                       | कुल ₹ 3,00,000 /—              |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000 /—(तीन लाख ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388.004 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।



3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388004 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

924(14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम         | अनुदान की राशि                           |
|---------|---|-----------------------|--|
| 1       | 2   | 3                     | 4  |
| 1       | मुल्क रानी देवी<br>पति-शिव कुमार प्रसाद सिंह<br>ग्राम+पो०-सरथा<br>थाना-वेना,<br>जिला-नालंदा                 | घुटना प्रत्यारोपण रोग | ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
| 2       | बसंत चौधरी<br>पिता-स्व. राम किशुन चौधरी<br>ग्राम-भैसानी टोला<br>पो०-बेगमपुर,<br>थाना-मालसलामी<br>जिला-पटना  | हृदय रोग              | ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।         |
| 3       | रुबी कुमारी<br>पति-लाल बाबु पटेल<br>ग्राम+पो०-रामचन्द्रपुर<br>थाना-सराय रंजन<br>जिला-समस्तीपुर              | हृदय रोग              | ₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।      |
| 4       | वैशाली कुमारी<br>पिता-युगेश्वर ठाकुर<br>ग्राम-चितकोहरा बस्ती<br>पो०-अनिसाबाद<br>थाना-गर्दनीबाग<br>जिला-पटना | प्लास्टिक सर्जरी रोग  | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।           |
| 5       | विरेन्द्र कुमार सिंह<br>पिता-स्व. विश्वनाथ सिंह<br>ग्राम+पो०-बीठौली<br>थाना-भगवानपुर<br>जिला-वैशाली         | हृदय रोग              | ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।         |

100



|    |   |                        |   |
|----|---|------------------------|---|
| 6  | सिया राम पाठक<br>पिता-दया कान्त पाठक<br>ग्राम+पो0-चौरौत<br>थाना-पुपरी<br>जिला-सतीमढी                          | हृदय रोग               | ₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।              |
| 7  | नितु कुमारी<br>पिता-भुषण प्रसाद<br>ग्राम-कुकुरबारा<br>पो0-हजरत साई<br>थाना-धनरुआ<br>जिला-पटना                 | हृदय रोग               | ₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।              |
| 8  | गोपाल कृष्ण<br>पिता-अरुण कुमार<br>ग्राम-शेखपुरा<br>पो0-न्यु जगनपुरा<br>थाना-रामकृष्ण नगर<br>जिला-पटना         | कान रोग                | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।             |
| 9  | शशि देवी<br>पति-राम नरेश राय<br>ग्राम-महुआ सिहराय<br>पो0+थाना-महुआ<br>जिला-वैशाली                             | हृदय रोग               | ₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।         |
| 10 | छटु लाल साह<br>पिता-स्व. महदेव साह<br>ग्राम-अकबर मलाही<br>पो0+थाना-सराय<br>जिला-वैशाली                        | हृदय रोग               | ₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।            |
| 11 | विकास कुमार<br>पिता-कालीका प्रसाद सिंह<br>ग्राम-पो0-बढौना<br>थाना-चंडी<br>जिला-नालंदा                         | हिप रिपलेस्मेंट<br>रोग | ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार)<br>स्वीकृत। |
| 12 | मो0 अमानउल्लाह<br>पिता-मो0 इसराईल<br>ग्राम-नया मोहल्ला हिलसा<br>पो0+थाना-हिलसा<br>जिला-नालंदा                 | छाती रोग               | ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।            |
| 13 | अशोक पासवान<br>पिता-रामचन्द्र पासवान<br>ग्राम-पो0-सिंधौल<br>थाना-मुफसिल<br>जिला-बेगुसराय                      | हड्डी रोग              | ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।             |
| 14 | कृष्णा प्रसाद चौहान<br>पिता-हरि महतो चौहान<br>ग्राम-मनसा बीगहा<br>पोस्ट-कपसियावा<br>थाना-हिलसा<br>जिला-नालंदा | स्पाईनल सर्जरी<br>रोग  | ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार)<br>स्वीकृत।  |

|    |  |           |                                  |
|----|--|-----------|----------------------------------|
| 15 | सोना देवी<br>पति-नवेन्द्र कुमार सिंह<br>ग्राम-पुरषोतमपुर<br>पो0-हराजी<br>थाना-अवतार नगर<br>जिला-सारण | कैंसर रोग | ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत। |
| 16 | कलावती देवी<br>पति-जनार्दन सिंह<br>ग्राम-मोरथ<br>पो0-कसाप<br>थाना-उदवन्तनगर<br>जिला-भोजपुर           | हृदय रोग  | ₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।   |
|    |  |           | कुल ₹ 12,61,000/-                |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,61,000/- ( बारह लाख एकसठ हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388000 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388000 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक 919(14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
शशि रानी